जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

ऑफिसः द्वितीय तल, पुराना महिला हॉस्टल, पुलिस मुख्यालय के पास, लालकोठी, जयपुर –15

दूरभाषः 0141 – 2744562, 2744776 ●Website: transport.rajasthan.gov.in/jctsl ●Email: jctsl.bus@gmail.com

क्रमांकः जेसीटीएसएल/प्रनि/संस्था/डी–296 दिनांक 07/05/2026

विज्ञप्ति

जेसीटीएसएल कार्मिकों की विभागीय जांचों का नियमानुसार जांच निष्पादन करने हेतु कार्मिक (क–2) विभाग, राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.17 (10) डीओपी/ए–II/94 जयपुर, दिनांक 28.03.2023 के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार सरकारी/राजस्थान परिवहन निगम/अर्द्धसरकारी/राजकीय उपक्रम से सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी की सेवायें समेकित पारिश्रमिक पर ली जानी है, जिनका विवरण निम्नानुसार है–

पदनाम	ग्रेड पे/पे लेवल मैट्रिक्स	पद
जांच अधिकारी	4800 (L-12)	01

अतः इच्छुक सेवानिवृत आवेदनकर्ता दिनांक 20.05.2026 तक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जेसीटीएसएल कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्य जानकारी हेतु फोन नं. 0141-2744562 अथवा जेसीटीएसएल की वेबसाइट transport.rajasthan.gov.in/jctsl अथवा कार्यालय समय में जेसीटीएसएल मुख्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

मुख्य वित्तीय अधिकारी
जेसीएसएल,जयपुर

अनुबंध की शर्तेः-

1. जांच प्रक्रिया के नियमानुसार जांच निष्पादन करने पर प्रति पूर्ण जांच के आधार पर पारिश्रमिक देय होगा।
2. अनुबंध कार्य करने पूर्व इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरूद्ध कोई विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है तथा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत नहीं किया गया है व किसी भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त नहीं है।
3. प्रथम चरण में अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिये किया जावेगा। साथ ही इस बीच आवश्यकता नहीं अथवा निश्चित समय में जांच पूर्ण नहीं करने अथवा जांच प्रक्रिया के नियमानुसार निष्पादित नहीं करने पर अनुबंध अवधि किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
4. अनुबंध पर जांच प्रक्रिया के नियमानुसार निर्धारित अवधि में पूर्ण जांच करने पर 2000/-रूपये तथा इकतरफा जांच पर 1500/-रूपये/- प्रति जांच मानदेय/ पारिश्रमिक देय होगा।
5. उक्त बिन्दु सं. 4 में अंकित मानदेय/पारिश्रमिक प्रति पूर्ण जांच, अनुबंधित जांच अधिकारी को समेकित मानदेय/पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 17(10)/डीओपी/ए-II/94 जयपुर, दिनांक 28.03.2023(प्रति संलग्न) बिन्दु सं. 6 के तद्नुरूप संलग्न परिशिष्ट 'क' में निर्धारित /वर्णनानुसार ही अधिकतम राशि तक भुगतान देय होगा।
6. जांच अधिकारी को जांचो का भुगतान प्रतिमाह जांचो का देयक संबंधित आगार के आगार प्रबंधक को प्रस्तुत करने पर उनके सत्यापन के पश्चात् मुख्यालय से ही पारिश्रमिक का भुगतान देय होगा।
7. जांच अधिकारी को जिस आगार की जांचो का भुगतान निस्तारण करने हेतु अनुबंध शर्तो पर नियुक्त किया गया है, वे उसी संबंधित मुख्यावास पर बैठकर जांच कार्यवाही संपादित करेगें।
8. जांच अधिकारी से माह में 30 जांचों का निष्पादन करना अपेक्षित होगा।
9. जांच अधिकारी नियुक्ति आदेश की दिनांक से 60 दिवस की अवधि में नियमानुसार विभागीय जांच पूर्ण करनी होगी तथा 60 दिवस के पश्चात् विभागीय जांच निष्पादित किये जाने पर कोई मानदेय/ पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
10. जांच अधिकारी को आगार प्रबन्धक द्वारा प्रेषित जांच पत्रावली जांच अधिकारी के कार्यालय में प्राप्ति दिनांक एवं जांच अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय से निष्पादित जांच पत्रावली संबंधित आगार प्रबन्धक को पत्र प्रेषित दिनांक की तिथि से ही मानेदय /पारिश्रमिक भुगतान करने की अवधि की गणना की जावेगी।